न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू कैम्प चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
03/2019	प्रा0पत्र 136 RLRA	01.03.2019	14.06.2019

मोमनराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी गांव सहजूसर तहसील व जिला चूरू (चूरू)
–प्रार्थी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू
–अप्रार्थी–

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार बुडानिया प्रार्थी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम मोमनराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी सहजूसर तहसील व जिला चूरू (राज.) है व इसी नाम से प्रार्थी जाना पहचाना पुकारा जाता है। इसी नाम के प्रार्थी के सम्पूर्ण दस्तावेजात हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता पहचान पत्र आदि सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम मोमनराम पुत्र अणदाराम ही है, जो कि सही व सत्य है व इस नाम का कोई भी व्यक्ति प्रार्थी के गांव में निवास नहीं करता है। यह कि प्रार्थी के स्वयं के नाम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 358/152 तादादी 4.9321 हैक्टेयर रोही मौजा सहजूसर तहसील व जिला चूरू में स्थित है, जिसके खाता संख्या पुराना 155 नया खाता नम्बर 165 हैं, उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी अकेला काश्तकार है। उक्त भूमि की राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थी का नाम मोमनराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी सहजूसर तहसील व जिला चूरू ही अंकित है। यह कि प्रार्थी के खातेदारी, काश्तकारी की कृषि भूमि रोही मौजा कानड़वासी में स्थित है, जिसके खसरा नम्बर 343/242 तादादी 3.5536 हैक्टेयर है, जिसका खाता संख्या नया 138 व खाता संख्या पुराना 135 है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम मोमनराम पुत्र अणदाराम के स्थान पर भूलवश मोहनराम पुत्र अणदाराम अंकित कर दिया गया है जो कि गलत है। प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 343/242 रोही मौजा कानड़वासी में मोहनराम के स्थान पर मोमनराम करवाना चाहता हूं, जो कि मोमनराम ही प्रार्थी का सही व वास्तविक व दस्तावेजी नाम है। प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि में मोहनराम के स्थान पर मोमनराम संशोधित करवाना चाहता है।

यह कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.02.2019 को तहसीलदार महोदय, चूरू एक प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उनके द्वारा उक्त संशोधन करने से इन्कार कर दिया, इस कारण प्रार्थी को श्रीमान् जी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। यह कि उपरोक्त कृषि भूमियां श्रीमान् जी के न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने के कारण प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार ताननीय न्यायालय को है, जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। यह कि अन्य तथ्य वरवक्त बहस अर्ज कर दिये जावेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का स्वीकार फरमाया जाकर रोही मौजा कानड़वासी तहसील व जिला चूरू की कृषि भूमि खसरा नम्बर 343/242 में प्रार्थी का नाम मोहनराम पुत्र अणदाराम के स्थान पर मोमनराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी ग्राम सहजूसर जिला चूरू करने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र हेतु समय चाहा गया। पैरोकार राज को काफी अवसर व समय दिया गया परन्तु जवाब पेश नहीं किया गया जिस पर पैरोकार राज का जवाब बन्द किया गया। पैरोकार राज का जवाब बन्द होने पर वकील प्रार्थी ने बहस का निवेदन किया जिस पर प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पैरोकार राज की ओर से प्रार्थना पत्र के विरोध में कोई जवाब पेश नहीं किया गया है जिससे उनका जवाब बन्द हो चुका है इसलिए पत्रावली पर पेश दस्तावेजात के आधार पर वादगत कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम मोहनराम पुत्र अणदाराम की बजाय मोमनराम पुत्र अणदाराम अंकित करने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम कानड़वासी के ख.नं. 343/242 तादादी 3.5536 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम मोहनराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी सहजूसर दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम सहजूसर के खसरा संख्या 358/152 तादादी 4.9321 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम मोमनराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी सहजूसर दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के आधार कार्ड संख्या 932889022288 में प्रार्थी का नाम मोमनराम पुत्र अणदाराम अंकित है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र सं. RJ/03/020/219283 में प्रार्थी का नाम मोमनराम पुत्र अणदाराम अंकित है। छाया प्रति बैंक पासबुक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मैन मार्केट, चूरू के खाता संख्या 32597336635 में भी प्रार्थी का नाम मोमनराम पुत्र अणदाराम अंकित है। राशन कार्ड संख्या 007051800149 ग्राम सहजूसर में प्रार्थी का नाम मोमनराम पुत्र अणदाराम अंकित है तथा भामाशाह कार्ड संख्या YKOWGIW जो रामकोरी पत्नी मोमनराम के नाम से बना हुआ है, में भी प्रार्थी का नाम मोमनराम पुत्र अणदाराम अंकित है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य सही प्रतीत होता है कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम मोमनराम पुत्र अणदाराम ही है जबकि ग्राम कानड़वासी के ख.नं. 343/242 तादादी 3.5536 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम गलत रूप से मोहनराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी सहजूसर दर्ज रिकार्ड चल रहा है जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उक्त त्रुटि सहवन से हुई लिपिकीय भूल की श्रेणी में ही आती है जिसको सही अंकित करवाने के लिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा पैरोकार राज द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं की गई है। साथ ही इस प्रकार के संशोधन से राज्य सरकार के हितों पर भी कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार किया जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 343/242 तादादी 3.5536 हैक्टेयर रोही मौजा कानड़वासी तहसील व जिला चूरू में अंकित खातेदार मोहनराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी सहजूसर के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम मोमनराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी सहजूसर अंकित करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू